



2026:AHC:35910

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-18765/2025

श्रीमती हर्षिता

....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: दिनेश कुमार, राम बदन

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. वकालतनामा श्री शशि रंजन श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता श्री दीपक वर्मा को अभिलेख में लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.बी.पाल तथा राज्य-उत्तरदाताओं के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 4 के शशि रंजन श्रीवास्तव, श्री दीपक वर्मा तथा मुन्ना पांडे के लिए उपस्थित होने वाले विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पीयूष शुक्ला को सुना।
3. इस न्यायालय ने 03.02.2026 को रिट याचिका पर विचार किया। आज श्री पीयूष शुक्ला को पता चला कि स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जहां तक प्रतिवादी संख्या 4 का संबंध है, वह पहले से ही काम कर रही है और वेतन प्राप्त कर रही है किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के वेतन के वितरण का प्रस्ताव है।
4. वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत का प्रकृती को देखते हुए दूसरे श्रेणी के याचिकाकर्ता को आंगवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए, उसे यह राहत नहीं दी जा सकती है, जब तक कि चौथे प्रतिवादी के विरुद्ध कोई आदेश न हो।
5. तदनुसार हस्तक्षेप अस्वीकार कर दिया जाता है, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया जाता है।
6. हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को कीर्यवाही का कारण उत्पन्न होने पर फिर से इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
7. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में लिया गया है तथा परिशिष्ट ए के रूप में चिन्हित किया गया है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आशु

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”